

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5337 / 2022

छितर लाल नागर

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडवा, जिला बारां।
4. बृजराज सुमन, वर्तमान कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरखंड कलां से स्थानान्तरणाधीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा, जिला बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2022

आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
एम.एस काला, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.10.1990 को अध्यापक ग्रेड-III के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय देलाहेरी (Delaheri), जिला बारां में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडवा, जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिसाई, जिला झालावाड़ में बिना किसी प्रशासनिक कारणों केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से दुरस्थ स्थान पर 200 कि.मी. दूर कर दिया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है तथा

आलोच्य आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जो विधि-विरुद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी को योगकाल व यात्रा-भत्ता दिए जाने का अंकन है। है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित है, जिसका ईलाज कोटा जिले में निरन्तर चल रहा है।

3. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडवा, जिला बारां में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking

Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य